कार्यालय ज्ञाप

अग्रणी जिला प्रबन्धक, कानपुर देहात ने केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार जनपद में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत की है। इस कार्ययोजना के बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. डिजिटल बैंकिंग में आधार कार्ड की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आधार एक 12 अंकों वाली विशेष संख्या है, जिसे बायोमेट्रिक जानकारी दर्ज करने के बाद प्रत्येक भारतीय नागरिक को जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल बिना किसी समस्या के व्यक्ति विशेष की पहचान को प्रमाणित करने के लिये किया जा सकता है और साथ ही इसके इस्तेमाल से सरकारी सेवाओं को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। बायोमेट्रिक तरीका नकली दस्तावेजों की समस्या को समाप्त करता है। इसके ज़रिए सरकारी सहायता राशि को बैंक रहित क्षेत्रों में सीधे तौर पर पहुँचाया जा सकता है। इसने फण्ड ट्रान्सफर जैसी बैंकिंग सेवाओं को पहले से अधिक आसान बना दिया है, क्योकि इसके लिये आईएफएससी कोड, खाता संख्या आदि जैसी कई जानिकारियों के बजाए सिर्फ आधार नम्बर की जरूरत पड़ती है।
2. जनपद में अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्र है जिसके कारण ज्यादातर जनपदवासियों के पास आधार कार्ड नहीं हैं जिसके कारण यह अति आवश्यक है कि सभी जनपदवासियों का आधार कार्ड बना हो एवं उक्त आधार नम्बर बैंक खाते से लिंक हो जिसके लिए जनपद में विभिन्न स्थानों पर आधार कार्ड बनवाने एवं जागरूकता कैम्प का आयोजन किया जाना चाहिए।
3. बैंक से छोटी रकम की जमा निकासी हेतु खाता धारक अधिक से अधिक एटीएम/रूपे/प्रीपेड कार्ड का प्रयोग करें जिससे जनपदवासियों का समय एवं बैंकों का प्रति लेन–देन होने वाले खर्चे का विराम लग सकेगा।
4. विभिन्न बैंकों द्वारा मोबाइल बैंकिंग/इन्टरनेट बैंकिंग की सुविधा भी दी जा रही है। खाताधारकों में जागरूकता की कमी होने के कारण वह इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि उनमें जागरूकता बढ़ाने हेतु विभिन्न कार्यक्रम किये जायें।
5. बैंकों द्वारा ऑनलाइन बैंकिंग को बढ़ावा देने हेतु कई मोबाइल अप्लीकेशन जैसे कि वालेट यूपीआई भी प्रयोग किया जा रहा है जिससे कि खाता धारक अपने स्मार्ट फोन में उक्त अप्लीकेशन डाउनलोड करके बहुत ही आसानी से दुकानों में खरीददारी हेतु अथवा विभिन्न बिलों के भुगतान हेतु प्रयोग कर सकते हैं।
6. खाताधारक के पास यदि स्मार्ट फोन नहीं है तब भी वह यूएसएसडी *99# द्वारा मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं जिसके लिए खाता धारक के खाते में आधार नंम्बर फीड होना आवश्यक है।
7. उपर्युक्त विभिन्न माध्यमों से डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है जिसके लिए जनता में जागरूकता होना आवश्यक है। प्रशासन द्वारा विभिन्न कार्यक्रम जैसे कि तहसील दिवस, किसान दिवस आदि में जनता को जागरूक करने हेतु जागरूकता शिविर लगाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रिंट मीडिया में अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।
8. सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ स्टाफ को डिजिटल लेनेदेन हेतु प्रेरित करें तथा स्टाफ 31 जनवरी 2017 तक कम से कम एक भुगतान/लेनदेन डिजिटल पेमेंट से करें।

9. सभी विद्यालयों में शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक इस संबंध में बच्चों में जागरूकता बढ़ाएं।

10. जनपद कानपुर देहात ग्रामीण जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र है। अतः ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता इस संबंध में ग्रामीणों को प्रेरित करने का कार्य करें।

11. जनपद में कार्यरत सभी बैंक शाखाएं महाराष्ट्र के धसई गॉव का उदाहरण लेते हुए अपने सेवा क्षेत्र के कम से कम एक गॉव को कैशलेस बनाने हेतु अभियान चलायें।

12. जनपद में कार्यरत मण्डी समिति एवं नगर पलिका के कर्मचारियों से भी डिजिटल बैंकिंग में सहयोग अपेक्षित है जिससे कि समाज के हर वर्ग तक डिजिटल बैंकिंग को पहुँचाया जा सके।

अतः जनपद स्तरीय अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त दिये गये बिन्दुओं पर अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें, जिससे जनपदवासियों को डिजिटल बैंकिंग का लाभ प्राप्त हो सके।

(कुमार रविकान्त सिंह)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात।
Office of the District Magistrate, Kanpur Dehat

पत्रांक : 1269 बी/ओ0एस0डी–का0दे0/2016 दिनांक: 29 दिसम्बर,2016

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात।
2. मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, कानपुर देहात।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर देहात।
5. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), कानपुर देहात।
6. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कानपुर देहात।

निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, कानपुर देहात।
2. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कानपुर देहात।
3. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, कानपुर देहात।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, कानपुर देहात
5. समस्त सचिव, मण्डी समिति, कानपुर देहात।

(कुमार रविकान्त सिंह)
जिलाधिकारी,
कानपुर देहात।